

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर०ए०एस

मुकदमा नं० 108/2023

1. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम जाति अहीर नि० श्यामा की ढाणी, लोहरवाडा, तह० जोबनेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र भूरा
2. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र
3. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
4. श्रवण पुत्र रामचन्द्र
5. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
6. गीतादेवी पत्नि श्रवणस
7. रामनारायण पुत्र लादू
8. रामेश्वर पुत्र लादू
9. कानाराम पुत्र बालूराम
10. शंकरलाल पुत्र श्योराम
11. नानूडी पत्नि श्योराम
12. शान्ति देवी पुत्री श्योराम
13. कमला देवी पुत्री श्योराम
14. सुशीला देवी पत्नि राधेश्याम
15. उर्मिला पत्नि गणपतलाल
16. प्रेमिला शर्मा पत्नि रामावजार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ठाकुरसी का बास, तहसील जोबनेर।
17. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर।
18. ज्याना देवी पत्नि रामस्वरूप
19. पोखर पुत्र दूला
20. लालू पुत्र दूला
21. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र
जाति अहीर निवासी लोहरवाडा तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
22. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबंधक।
23. आन्धा बैंक शाखा कालवाड जरिये प्रबंधक।
24. एच डी एफ सी बैंक शाखा चौमू जरिये प्रबंधक।
25. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबंधक।



alsc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

26. तहसीलदार तहसील, जोबनेर जिला जयपुर ।
27. उपपंजियक, जोबनेर, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी
एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

तथा

मुकदमा नं0 29/2025

1. रामनिवास पुत्र भैरू
2. गोपाल पुत्र कालू

समस्त जाति अहीर नि0 स्वामी की ढाणी, लोहरवाडा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र बालूराम
2. गीतादेवी पत्नि श्रवण
3. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र
4. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
5. रामनारायण पुत्र लादू
6. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र
7. रामेश्वर पुत्र लादू
8. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम
9. शंकरलाल पुत्र श्योराम
10. श्रवण पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति अहीर नि0 स्वामी की ढाणी, लोहरवाडा, तह0 जोबनेर जिला जयपुर ।

11. छोटीदेवी पत्नि रामस्वरूप
12. दिनेश पुत्र रामस्वरूप
13. मंजूदेवी पुत्री रामस्वरूप
14. सुमेरसिंह पुत्र रामस्वरूप
15. सीमा पुत्री रामस्वरूप
16. हंसादेवी पुत्री रामस्वरूप

समस्त जाति अहीर नि0 कालवाड तह0 कालवाड जिला जयपुर ।

17. मोहन पुत्र भैरू
18. राजेश कुमार पुत्र नोलाराम
19. लक्ष्मीदेवी पुत्री नोलाराम
20. शकुन्तलादेवी पुत्री नोलाराम



dsc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

21. श्रवण पुत्र भैरू
22. सत्यनारायण सिंह पुत्र नोलाराम
23. सुमनेदवी पुत्री नोलाराम
24. हीरादेवी पत्नि नोलाराम
25. मोती पुत्र कालू
26. लक्ष्मण पुत्र कालू

समस्त जाति अहीर नि० स्वामी की ढाणी, लोहरवाडा, तह० जोबनेर जिला जयपुर।

27. कमलीदेवी पत्नि रामलाल
28. संतोष यादव पत्नि कमलेश कुमार

समस्त जाति अहीर नि० स्वामी की ढाणी, लोहरवाडा, तह० जोबनेर जिला जयपुर।

29. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबंधक।
30. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबंधक।
31. आन्धा बैंक शाखा कालवाड जरिये प्रबंधक।
32. एच डी एफ सी बैंक शाखा चौमू जरिये प्रबंधक।
33. तहसीलदार तहसील, जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर०टी०ए०

- उपस्थित :-
1. श्री रामसिंह विद्वान अधिवक्ता वादी
 2. श्री हनुमान जाखड
 3. श्री रामावतार सिंह



दिनांक :- 30 / 04 / 2025

प्राथमिक डिक्री

वादी द्वारा वाद बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर०टी०ए० इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं०1 लगा० 21 की संयुक्त कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजी अंतिम चोसाला आधार संवत 2074 से 2077 जमाबंदी 2078 से स्थायी के खाता नं० 15, 16, 17, 18, 19, 20, 254 की आराजीयात वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का हिंगोनिया, भू०अभि०नि०क्षेत्र हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है खाता नं० नया 15 पुराना 14 की आराजी ख०न० 191 रकबा 0.8219 है० वाके लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। खाता नं० नया 16 पुराना 15 की आराजी ख०न० 217 रकबा 3.9326 है० किस्म बरानी-1 कुल खसरा 01 कुल रकबा 3.9326

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है० वाके ग्राम लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। खाता नं० नया 17 पुराना 16 की आराजीयात ख०न० 181 रकबा 0.0126 है० किस्म बारानी-1, ख०न० 181/1 रकबा 0.6323 है० किस्म बारानी-1, ख०न० 182 रकबा 0.4679 है० किस्म चाही-1, ख०न० 183 रकबा 0.9484 है० किस्म चाही-1, ख०न० 184/2 रकबा 0.0126 है० किस्म बारानी-1, ख०न० 190 रकबा 1.4542 है० कुल खसरा 06 कुल रकबा रकबा 3.5280 है० वाके लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। खाता नं० नया 18 पुराना 17 की आराजी ख०न० 181/2 रकबा 0.7587 है० हिस्म बारानी-1 कुल खसरा 01 कुल रकबा रकबा 0.7587 है० वाके लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे चली आ रही है। खाता नं० नया 19 पुराना 18 की आराजी ख०न० 189 रकबा 3.5027 है० किस्म चाही-1, जाव-1 कुल खसरा 01 कुल रकबा 3.5027 है० लगानी 28.51 वाके लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे चली आ रही है। खाता नं० नया 254 पुराना 241 की आराजीयात ख०न० 185 रकबा 0.7461 है० किस्म बारानी-1, ख०न० 215 रकबा 0.2023 है० किस्म बारानी-2, ख०न० 216 रकबा 0.9990 है० किस्म बारानी-2, ख०न० 219 रकबा 1.7703 है० कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.7477 है० लगानी 11.0100 वाके लोहरवाडा मे स्थित है जिसमे वादी लक्ष्मणराम 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है एवं शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के उनके दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। विवादग्रस्त खाता नंबर नया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 254 मे वादी उपरोक्त वर्णित मद नं० वाद मे अंकित जमाबंदी मे दर्ज हिस्से का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है सातो खातो की आराजीयात ईकजाई है विवादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजीयात है विधिवत तकासमा नही हो रखा और पारस्परिक सहमति से हिस्सेनुसार मौके पर अपने अपने हिस्सो की भूमि एकजाई करते हुए पूर्वजो से मनबट अनुसार विभाजन कर अपने अपने को विकसित कर रखा है। जिसके अनुसार वादी लक्ष्मणराम मौके पर अपने हिस्से मे आने वाले रकबे के अनुसार मौके पर ख०न० 184/1, एवं ख०न० 189 मे काबिज है जो संलग्न नक्शे मे नारंगी रंग से अंकित है एवं प्रतिवादी कानाराम



उपखण्ड अधिकारी
जबलपुर

बुलुमिन के समय से सतत आराजीयात खरारा नंबर 216 रकबा 0.2023 हे0, खरारा नंबर 219 रकबा 1.7703 हे0 सम्पूर्ण पर व खरारा नंबर 216 रकबा 0.9990 हे0 में से 0.8598 हे0 पर सहमति बटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 लगा0 26 संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपयोग कर रहे है। इसी प्रकार आराजी खरारा नंबर 213/2 रकबा 0.8219 हे0, खरारा नंबर 180/8 रकबा 0.1138 हे0, खरारा नंबर 180/9 रकबा 0.1138 हे0, खरारा नंबर 180/11 रकबा 0.2908 हे0 की सम्पूर्ण आराजीयात पर व खरारा नंबर 214 रकबा 1.0622 हे0 में से 0.3289 हे0 पर, खरारा नंबर 218 रकबा 3.4774 हे0 में से 0.1265 हे0 पर, खरारा नंबर 180/6 रकबा 0.5564 हे0 में से 0.3036 हे0 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 16 व 27, 28 काबिज काश्त होकर उपयोग उपयोग करते आ रहे है। तथा खरारा नंबर 175/1 रकबा 0.1897 हे0, खरारा नंबर 223/10 रकबा 0.2403 हे0, खरारा नंबर 220/3 रकबा 0.8978 हे0 में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 25, 26 काबिज काश्त होकर उपयोग उपयोग कर रहे है। एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 25, 26 के हिस्से की आराजीयात खरारा नंबर 214 रकबा 0.8957 हे0 में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 17 लगा0 24 काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति अनुसार पूर्वजो के समय से अपने हिस्से में आरी आराजीयात का गौके पर बटवारा कर उपयोग उपयोग करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 लगा0 26 ने दिनांक 05.02.2025 को अपनी आराजीयात की सुरक्षा के लिए तारबन्दी करने लगा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 16 व 27, 28 ने वादीगण को तारबन्दी नहीं करने दी। जिससे वादीगण को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रार्थना पेश करना आवश्यक हुआ है।



अतः वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 16 व 27, 28 डिग्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नंबर 1 व 2 में वर्णित आराजीयात खरारा नंबर 215 रकबा 0.2023 हे0 खरारा नंबर 219 रकबा 1.7703 हे0 सम्पूर्ण पर व खरारा नंबर 216 रकबा 0.9990 हे0 में से 0.8598 हे0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 लगा0 26 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 व 26 की आराजी खरारा नंबर 213/1 रकबा 0.5817 हे0, खरारा नंबर 213/2 रकबा 0.8219 हे0, खरारा नंबर 180/8 रकबा 0.1138 हे0, खरारा नंबर 180/9 रकबा 0.1138 हे0, खरारा नंबर 180/11 रकबा 0.2908 हे0 की सम्पूर्ण आराजीयात पर व खरारा नंबर 214 रकबा 1.0622 हे0 में से 0.3289 हे0 पर, खरारा नंबर 218 रकबा 3.4774 हे0 में से 0.1265 हे0 पर, खरारा नंबर 180/6 रकबा 0.5564 हे0 में से 0.3036 हे0 पर प्रतिवादी संख्या 25, 26 काबिज काश्त होकर उपयोग उपयोग कर रहे है। एवं वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 25, 26 के हिस्से की आराजीयात खरारा नंबर 214 रकबा 0.8957 हे0 में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 17 लगा0 24 काबिज काश्त है।

संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 17 व 24 काविज काशत है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 व प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 16 तथा प्रतिवादी संख्या 7 की जगह प्रतिवादी संख्या 27 व 28 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके कब्जे अनुसार के सिद्धांत के आधार पर विभाजित की जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर अंतिम डिक्री पारित कर वादी व प्रतिवादीगण की आराजीयात की भूमि पृथक-पृथक की जाकर लगान व भूमि की फाडबंदी की जावें। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड/नक्शे में अमल दरामद फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा मय नक्शा इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त विवादग्रस्त वाद का सभी ने घर बैठकर राजीनामा कर लिया है। मुताबिक राजीनामा सभी पक्षकारान वाद को डिक्री कराने हेतु सहमत है। प्रस्तुत राजीनामा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:- खाता संख्या 254 की आराजी खसरा संख्या 185 रकबा 0.7461 हे0 भूमि में कानाराम पुत्र बालूराम, लक्ष्मण पुत्र बालूराम, शंकरलाल पुत्र श्योराम के हिस्से में रहेगी तथा 2 बिस्वा रामनारायण पुत्र लादूराम के हिस्से में रहेगी। तथा शेष खसरा नंबर 215 रकबा 0.2023 हे0, खसरा संख्या 216 रकबा 0.9990 हे0 भूमि में से 0.8598 हे0, खसरा नंबर 219 रकबा 1.7703 हे0 भूमि वादीगण के रहेगी। तथा खसरा संख्या 216 की शेष 0.1391 हे0 भूमि रामनारायण, रामेश्वर पुत्रान लादूराम के हिस्से रहेगी। आराजी खाता संख्या 18 की आराजी खसरा नंबर 181/2 रकबा 0.7587 हे0 तथा आराजी खाता संख्या 17 की आराजी खसरा नंबर 181 रकबा 0.0126 हे0, 182 रकबा 0.4679 हे0 भूमि जगदीश, श्रवण, गोपीराम, रामनिवास, सीताराम पुत्रान रामचन्द्र व गीतादेवी पत्नि श्रवण के हिस्से रहेगी तथा 181/1 रकबा 0.6323 हे0, खसरा संख्या 183 रकबा 0.9484 हे0 खसरा संख्या 190 रकबा 1.4542 हे0 मे से जगदीश, श्रवण, गोपी, रामनिवास, सीताराम पुत्रान रामचन्द्र व गीता देवी पत्नि श्रवण के रहेगी तथा शेष पोखर पुत्र दुल्ला के हिस्से रहेगी एवं खसरा नंबर 183 रकबा 0.9484 हे0 भूमि में से शंकरलाल पुत्र श्योराम के भी रहेगी। तथा खसरा नंबर 184/2 रकबा 0.0126 हे0 सम्पूर्ण भूमि शंकरलाल पुत्र श्योराम के रहेगी। तथा आराजी खाता संख्या 15 की आराजी खसरा नंबर 191 रकबा 0.8219 हे0 भूमि में से जगदीश, श्रवण, गोपी, रामनिवास, सीताराम पुत्रान रामचन्द्र व गीतादेवी पत्नि श्रवण के हिस्से में रहेगी तथा शेष सुशीलादेवी पत्नि राधेश्याम के हिस्से रहेगी। खसरा नंबर 184/1 मे 0.1644 हे0 भूमि जगदीश पुत्र रामचन्द्र के हिस्से रहेगी। आराजी खाता संख्या 19 की आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 3.5027 हे0 भूमि में से पोखरमल पुत्र दुल्लाराम, उर्मिलादेवी पत्नि गणपतलाल, सुशीलादेवी पत्नि राधेश्याम, ज्यानादेवी पत्नि रामस्वरूप, गोपालाल पुत्र भूराराम, छोटीदेवी पत्नि रामस्वरूप, दिनेश



दिनेश
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पुत्र रामस्वरूप, मंजूदेवी पुत्री रामस्वरूप, सुमेरसिंह पुत्र रामस्वरूप, सीमा पुत्री रामस्वरूप, हंसादेवी पुत्री रामस्वरूप के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता संख्या 20 की आराजी खसरा नंबर 184/1 रकबा 4.4510 हे० भूमि में से कानाराम, लक्ष्मणराम पुत्रान बालूराम, शंकरलाल पुत्र श्योराम के हिस्से में रहेगी। तथा आराजी खाता संख्या 188 की आराजी खसरा नंबर 180/15 रकबा 0.6323 हे० भूमि में से 2/5 शंकरलाल पुत्र श्योराम के हिस्से रहेगी। आराजी खाता संख्या 16 की आराजी खसरा संख्या 217 रकबा 3.9326 हे० भूमि में से प्रमिलाशर्मा पत्नि रामावतार शर्मा के हिस्से में रकबा 1.0120 हे० भूमि रहेगी। तथा शेष 2.9206 हे० भूमि में से लालू पुत्र दुल्ला के हिस्से में 0.2458 हे० भूमि जमाबंदी में अंकित है। जिसमे से 0.1229 हे० भूमि पोखर पुत्र दुल्ला के हिस्से में रहेगी। तथा शेष भूमि रामेश्वर, रामनारायण पुत्रान लादूराम व छोटीदेवी पत्नि रामस्वरूप, दिनेश पुत्र रामस्वरूप, मंजूदेवी पुत्री रामस्वरूप, सुमेरसिंह पुत्र रामस्वरूप, सीमा पुत्री रामस्वरूप, हंसादेवी पुत्री रामस्वरूप के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता संख्या 98 की आराजी खसरा नंबर 213/2 रकबा 0.8219 हे०, खसरा नंबर 180/8 रकबा 0.1138 हे०, खसरा नंबर 180/9 रकबा 0.1138 हे० सम्पूर्ण भूमि व खाता संख्या 97 की आराजी खसरा नंबर 218 रकबा 3.4774 हे० भूमि में से 0.1265 हे० भूमि तथा आराजी खसरा संख्या 223 की आराजी खसरा नंबर 213/1 रकबा 0.5817 हे०, खसरा नंबर 180/11 रकबा 0.2908 हे० सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नंबर 180/6 रकबा 0.5564 हे० में से 0.3036 हे० एवं खसरा नंबर 214 रकबा 1.0622 हे० में से 0.3289 हे० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 6 तथा 8 लगा० 16 व 27, 28 के रहेगी। तथा शेष भूमि वादीगण के रहेगी।

आराजी खसरा नंबर 213/1 व 213/2 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नंबर 214 में शेष 0.3289 हे०, खसरा नंबर 218 में शेष 0.1265 हे० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 11 लगा० 16 एवं 27, 28 के हिस्से में रहेगी। आराजी खसरा नंबर 180/8, 180/9, 180/11 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नंबर 180/6 में शेष 0.3036 हे० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4, 6, 10 के हिस्से में रहेगी। आराजी खसरा नंबर 187 रकबा 0.2656 हे० आबादी भूमि है जिसमे से 0.1992 हे० भूमि श्रवणलाल, गोपीराम पुत्रान रामचन्द्र के हिस्से में रहेगी। तथा शेष भूमि पोखर पुत्र दुल्ला के हिस्से में रहेगी। श्रवणलाल, गोपीराम पुत्रान रामचन्द्र के हिस्से में आयी आबादी भूमि 0.1992 हे० के बदले भूमि अपनी खातेदारी भूमि में से 0.0664 हे० भूमि गोपाल पुत्र भूरा को तथा 0.0664 हे० भूमि रामनारायण पुत्र लादू, कमलीदेवी पत्नि रामलाल, संतोष यादव पत्नि कमलेश कुमार को देंगे। आराजी खसरा नंबर 220, 219, 216, 218, 214, 185, 213/1, 213/2, 189 में बुजुर्गान के समय से सामलाती रास्ता बना हुआ है। जो कि भविष्य में भी सुचारु रहेगा। और सभी खातेदार हिस्से अनुसार रास्ते में भूमि देंगे। आराजी खसरा नंबर 175/1 रकबा 0.1897 हे०, खसरा नंबर 220/3 रकबा 0.8978 हे०, खसरा नंबर 223/10 रकबा



उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

0.2403 हे० की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नंबर 219 रकबा 1.7703 हे० मे से 1.0120 हे० भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 25, 26 के हिस्से में रहेगी। आराजी खसरा नंबर 215 रकबा 0.2023 हे० सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नंबर 214 रकबा 1.0622 मे से 0.7324 हे०, खसरा नंबर 216 रकबा 0.9990 हे० मे से 0.8602 हे०, खसरा नंबर 219 रकबा 1.7703 हे० में से 0.7590 हे० भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 17 लगा० 24 के हिस्से में रहेगी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादी का वाद मुताबिक राजीनामा के प्राथमिक डिक्री किये जोन हेतु सहमति प्रदान की गयी। तथा वादी का वाद मुताबिक राजीनामा एवं संलग्न नक्शे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। चुकि तकासमें के पश्चात बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावेगा। बैंक का रहन संबंधित खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। ऐसी स्थिति में बैंक का हित प्रभावित होने जैसी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक राजीनामा के प्राथमिक डिक्री किया जाता है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार तथा भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये रिपोर्ट कुर्रैजात दो प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाये। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदानुसार प्राथमिक डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



देवेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर